हुक्म	
19/11/25	पत्रावली पेश हुई। न तो अधिवक्ता वादी उप. न ही वादी स्वयं उप०। अधिवक्ता वादी को बार-2 आवाज लगाई जाने के उपरान्त भी उप० नहीं अन्तिम आवाज सायं 5:00 बजे लगाई गई लेकिन उप० नहीं अतः वादी का वाद अदम पैरवी में खारिज किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार बेकार मन्सूख के बाद हो दाखिल दफ्तर हो
	उपरसाम